

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प. 1 (67)वन/2015

जयपुर, दिनांक :-

उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
जयपुर बी-ब्लॉक, अरण्य भवन,
झालाना, जयपुर।

विषय:- Diversion of 13.558 ha. of forest land in for upgradation
of KOTA-DHARNAWADA ROAD KM 132/500 TO 137/500 in
favour of Executove Engineer, Public Works Department,
Rajasthan. (Proposal No.-FP/RJ/ROAD/6979/2014).

संदर्भ:- आपका आक्षेप दिनांक 30.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आक्षेप के क्रम में अति. प्रधान मुख्य वन
संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफसीए के पत्र 14(ROAD)2025/एफसीए/प्रमुवसं.
/805 दिनांक 19.05.2025 से प्राप्त प्रत्युत्तर आवश्यक संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है
कि प्रकरण में आवश्यक स्वीकृति जारी कराने का श्रम करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(बीजो जॉय)
विशिष्ट शासन सचिव, वन

Signature Not Verified

Digitally Signed by Bijo Joy
Designation : Special
Secretary To Government
Date :07-07-2025 05:45:39

157

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(ROAD)2025/एफसीए/प्रमुख/ 805

दिनांक 09/05/2025

विशिष्ट शासन सचिव,
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

१-१७१

विषय:- Diversion of 13.558 ha. of forest land in for upgradation of KOTA-DHARNAWADA ROAD KM 132/500 TO 137/500 in favour of Executove Engineer, Public Works Department, Rajasthan.
(Proposal No.-FP/RJ/ ROAD/6979/2014)

संदर्भ:- भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पत्र दिनांक 30.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में ईडीएस पत्र दिनांक 15.02.2018 के संबंध में निवेदन है कि ईडीएस का जवाब पूर्णरूप से प्राप्त नहीं होने पर यूजर ऐजेंसी को प्रकरण वापस भिजवाया गया था, पूर्णतया ईडीएस का जवाब प्राप्त नहीं होने पर प्रस्ताव को बार-बार यूजर ऐजेंसी को भिजवाया गया। इस प्रक्रिया में इतना समय व्यतीत हो गया। प्रकरण यूजर ऐजेंसी के स्तर पर लम्बित रहा है। उप वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक के पत्र के साथ प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(के.सी.ए. अरुण प्रसाद)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए, राजस्थान, जयपुर

171

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ceffdtp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

समुवसं/2025-26/ 3067

दिनांक: 30/04/25

मुख्य वन संरक्षक
नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- कोटा से धरनावदा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
PROPOSAL NO. (FP/RJ/ROAD/6979/2023)

संदर्भ:- उप वन संरक्षक, बारां का पत्रांक 3094 दिनांक 25.04.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कोटा से धरनावदा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 823 दिनांक 15.02.2018 में उल्लेखित बिन्दुओं की वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2979 दिनांक 11.04.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा पूर्व में भिजवाई जा चुकी है। प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा विलम्ब नहीं किया गया है।

अतः MOEF के पत्र दिनांक 30.10.2024 एवं आपके पत्र क्रमांक 3693 दिनांक 13.12.2024 के क्रम में उप वन संरक्षक, बारां से प्राप्त समस्त रिपोर्ट पुनः सुलभ संदर्भ हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(सोनल जौरिहार)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 074538230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2024 -25/ 3094 दिनांक 25-04-2025
निमित्त -

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय -कोटा से धरनावदा सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

Proposal no.FP/RJ/ROAD/6979/2014 (13.558ha)

संदर्भ - आपका पत्र क्रमांक 2694 दिनांक 15.04.2025 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्रों से चाही गई रिपोर्ट निम्नानुसार है।

वि.वि

क्रम सं	अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर द्वारा लगाये गये आक्षेप के पत्र क्रमांक व दिनांक	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा प्रेषित आक्षेप पत्र क्रमांक व दिनांक	इस कार्यालय द्वारा संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा को आक्षेपों की पूर्ति कर भिजवाये गये पत्र क्रमांक व दिनांक	
1	MOEF का पत्र क्रमांक 30.10.2024	आनलाईन ई.डी.एस दिनांक 07.11.2024	13.11.2024	उक्त पत्रों द्वारा दिनांक 15.02.2018 को जारी ई.डी.एस का जवाब चाहा गया था यूजर एजेन्सी से प्राप्त होने के उपरान्त पूर्ण पालना के कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 8142 दिनांक 9.04.2018 को पूर्व में भिजवा दिया गया था। तथा संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा पत्र क्रमांक 29.79 दिनांक 11.04.2018 को अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर को भिजवाया गया है। उक्त पत्र में विलम्ब का कारण चाहा गया है। अतः इसके कम में निवेदन है कि प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा विलम्ब नहीं किया गया है।
2	3693/13.12.2024	7433/16.12.2024	02.02.2025	दिनांक 02.02.2025 जय ई फाइल के संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा को प्रेषित किया गया है।
3	आनलाईन ई.डी.एस दिनांक 10.04.2025	2694/15.04.2025	25.04.2025	अतः इस कार्यालय द्वारा आक्षेपों की पूर्ति कर प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय में अग्रेषित किया गया है। इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में विलम्ब नहीं किया है।

रिपोर्ट श्रीमान कि सेवा में प्रेषित है।

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2024 -25/ 3095

प्रतिलिपि:- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर।

दिनांक 25-4-2025

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक
बारां